

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
विनोद कुमार बनाम तीजा देवी आदि  
अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी प्रकरण संख्या 75 सन् 2025  
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/ 402

तामिल  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुए

08.2025

प्रार्थी विनोद कुमार पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी  
24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता  
श्री मनीष जागिड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9  
सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।  
अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली  
दिनांक 29.09.2025 को पेश हो।

नोटिस जारी  
498  
22/8/25

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

09  
12/5

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी  
तीजा देवी को भेजे गए नोटिस की  
डिलिवरी रिपोर्ट पेश की शामिल मिलल  
रहे। अप्रार्थी तीजा देवी उपस्थित नहीं  
आयी। भक्र-2 कर 3 बार आवान  
लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया।  
अप्रार्थी तीजा देवी के विरुद्ध एकपक्षीय  
कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं।

वहस सुनी गई व पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थी  
का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी  
स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या  
102/2018, अवान विनोद कुमार बनाम  
तीजा देवी को पुराने नम्बर पर रिसॉर्ट  
दिए जाने के आदेश दिए जाते हैं।  
पत्रावली निर्गति होकर नम्बर से फर्म  
होकर मूलवाद के साथ सलग्न है।



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)